भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

यह [illegible] स्टाम्प पेपर कल्याणकारी [illegible]
[illegible] [illegible] कैथौड़ा डा०- [illegible] जिला
मुजफ्फरनगर के नियमावली की सत्यापित के
[illegible] [illegible] है

सहायक निबंधक
फर्म्स, [illegible]
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

(3)

स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम : कल्याणकारी शिक्षा समिति ।
2. संस्था का पूरा पता : मीरापुर कैथोडा, डाक खास जिला मुजफ्फरनगर ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उद्देश्य

1- प्रत्येक समुदाय के लिये शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिये प्राईमरी स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना नियमानुसार कर प्रबन्ध संचालन करना ।

2- शिल्पकला एवं विज्ञान, सिलाई कढाई, बुनाई, ब्यूटिशियन कोर्स इत्यादि के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना ।

3- निर्धन बच्चों एवं अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं प्रौढ शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

4- प्रत्येक समुदाय के लिये शिक्षा का प्रबन्ध एवं समाज को पूर्ण साक्षर बनाने के लिये सतत शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र इत्यादि की नियमानुसार स्थापना कर प्रबन्ध संचालन करना ।

5- समाज में भाई चारा राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना हर धर्म के प्रति श्रद्धा एवं आदर की भावना पैदा करना ।

6- निराश्रित महिलाओं व बच्चों के लिये आश्रम स्कूल नारी निकेतन सुलभ उद्योग हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों नियमानुसार स्थापना करना ।

7- वाचनालय, पुस्तकालय तथा फ्री स्कूल आदि की नियमानुसार स्थापना कर प्रबन्ध संचालन करना।

8- बच्चों के लिये नियमानुसार व्यायाम शाला की स्थापना कर प्रबन्ध संचालन करना ।

9- निर्धन छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति दिलाने का प्रयास करना ।

1. [signature]
अध्यक्ष
कल्याणकारी शिक्षा समिति
मीरापुर कैथौड़ा, मु0नगर

2. राजेश
प्रबन्धक
कल्याणकारी शिक्षा समिति
मीरापुर कैथौड़ा, मु0नगर

3. [signature]

4. [signature]

5. प्रमोद कुमार

6. Mangleram

7. Rammy [signature]

[signature]
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम, पते, पद व व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया: -

क्रम संख्या	नाम एवं पिता/पति का नाम	पूरा पता	पद	व्यवसाय
1-	श्री मूल चन्द पुत्र श्री प्रभुसिंह	म0न0 62/1 घेरखत्ती नई मण्डी, मुजफ्फरनगर	अध्यक्ष	कृषि
2-	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह	मो0 बाजार मण्डी झिंझाना जनपद-मुजफ्फरनगर ।	उपाध्यक्ष	व्यापार
3-	श्रीमती राजेश ब श्री महेन्द्र सिंह	म0 न0 573/92 भरतिया कालोनी मुजफ्फरनगर	प्रबन्धक	गृहिणी
4-	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री हरिसिंह	ग्राम व पो0 कुरानी मेरठ ।	उप प्रबन्धक	कृषि
5-	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री नत्थूसिंह	कमलनगर, कुकडा मुजफ्फरनगर	कोषाध्यक्ष	कृषि
6-	श्री मांगेराम पुत्र श्री समय सिंह	म0 न0 69/1 भोपारोड नई मण्डी मुजफ्फरनगर	सदस्य	कृषि
7-	श्री विमल प्रसाद गुप्ता श्री रघुवीर सिंह	ग्राम व पो0 कुकडा मुजफ्फर नगर	सदस्य	व्यापार

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि हमने उक्त संस्था का गठन किया है जिसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत कराना चाहते हैं ।

दिनांक:

1. मूलचन्द 2. राजेश 3. राजपालसिंह 4. विक्रमसिंह

5. प्रमोदकुमार 6. मांगेराम 7. विमलप्रसाद गुप्ता

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर
25/4/87

(3)

नियमावली

1- संस्था का नाम : कल्याणकारी शिक्षा समिति ।

2- संस्था का पूरा पता : मीरापुर केवेडा, डा० खास जिला- मुजफ्फरनगर ।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।

4- संस्था के उद्देश्य : { स्मृति - पत्र के अनुसार होगें }

5- संस्था की सदस्यता सदस्यों के वर्ग : कोई भी बालिग स्त्री व पुरुष कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात नि. म्नानुसार संस्था का सदस्य बन सकेगा :-

1. केवा-नन्द

1- आजीवन सदस्य: -
जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त अंकन रुपये 1000 रुपये या इतनी ही धनराशि की सम्पत्ति संस्था को दान में देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा ।

2. साधारण

2- साधारण सदस्य: - जो व्यक्ति संस्था को अंकन रुपये वार्षिक तथा 501 रु0 आवेदन शुल्क देगा वह संस्था का साधारण सदस्य कहलायेगा ।

3. रवि प्रकाश - सदस्यता की समाप्ति :

1- मृत्यु हो जाने पर ।

2- पागल या दिवालिया होने पर ।

3- किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर ।

4. [illegible]

4- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

5- सदस्यता शुल्क न देने पर ।

6- लगातार तीन मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर ।

7- आचरण भ्रष्ट होने पर ।

8- संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

7- संस्था के अंग :

1- साधारण सभा ।

2- प्रबन्ध कारिणी समिति ।

साधारण सभा : { अ }- गठन

सभी आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

पूर्व व विशेष बैठक के लिये सूचना 2 दिन पूर्व दी जायेगी ।
§द§ गणपूर्ति:- कुल संख्या का 2/3 होगा ।
§य§ कार्यकाल:- गठन की तिथि से 5 वर्ष होगा ।
§र§ प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

§1§ संस्था का प्रबन्ध संचालन करना ।
§2§ आय व्यय बजट तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत कर पारित कराना ।
§3§ अन्य आवश्यक कार्य जो संस्था के हित में हों करना ।

9- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य:

1- अध्यक्ष:

समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना तथा नियमानुसार कार्य संचालित करना जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य न हो ।

2- सभा के कोष पर नियन्त्रण रखना ।
3- सभा तथा सभा द्वारा संचालित संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध की व्यवस्था करना ।
4- सभा के नियमों के उल्लघंन होने तथा सभा द्वारा संचालित सं संस्थाओं के प्रबन्ध में किसी प्रकार की कमी होने की सूचना सभा तथा समिति को देना ।
5- उपाध्यक्ष को निज अधिकारों में से यथोचित अधिकार देना ।
6- सभा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का असर करने के लिये आवश्यक कार्य करना ।

2-उपाध्यक्ष:

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उन्हें सौंपे गये कार्य करना ।

3- प्रबन्धक: वेतन बिल तथा अन्य व्ययों का निरीक्षण तथा स्वीकृत करना ।

1- सभा तथा समिति की कार्यवाही का लिखित विवरण रखना और उनके प्रस्तावों को कार्यान्वित करना ।
2- सभा तथा असके द्वारा संचालित संस्थाओं की समस्त पंजिकायें, कार्यवाही पंजिकाओं, लेखा विवरणों, रिकार्डों फाइलों तथा अन्य महत्वपुर्ण प्रपत्रों की सुरक्षा करना ।
3- सभा के नाम पर समस्त कानूनी कार्यवाही करना ।
4- सभा के नाम पर समस्त प्रपत्रों , बिलों तथा अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना ।
5- सभा के नाम पर पत्र व्यवहार करना ।
6- आवश्यकतानुसार सभा तथा समिति की बेठकों को संचालित करना तथा लेखा पंजिकाओं का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना
7- सभा के नाम पर राजकीय अनुदान, चन्दा , दान तथा धन राशि को प्राप्त करना निश्चित फार्मों पर इनका लेखा रखना तथा धनराशि को बैंक या पोस्ट आफिस में जैसा कि समिति की स्वीकृति हो इन्हें जमा करना

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

उनका मूल्यांकन करवाना ।

§3§ संस्था के अन्य सभी कार्य संस्था के अध्यक्ष के निर्देशानुसार करना ।

§4§ संस्था से सम्बन्धित अदालती कार्यवाही को करना तथा उद्देश्यों की पूर्ति के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा दान चन्दा प्राप्त कर रसीद देना ।

1 [signature]

6- उप प्रबन्धक: -
प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसे सभी कार्यों को करना ।

7-§- कोषाध्यक्ष: -

§1§ संस्था के कोष को देखभाल करना ।

2. [signature]

§2§ संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा करना ।

3. [signature]

§3§ आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना ।

§4§ संस्था के आय व्यय का आडिट किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट से कराना ।

10- संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा ।

4. [signature]

11- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण: - प्रत्येक वर्ष संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण किसी भी चार्टर्ड एकान्टेन्ट से कराया जायेगा ।

12- संस्था के विरूद्ध अदालती कार्यवाही का संचालन:
संस्था के विरूद्ध एवं उनके पक्ष में होने वाली संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा ।

13- संशोधन : संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 बहुमत से पूर्ण होगी ।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स,सोसायटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

14- संस्था के अभिलेख : संस्था के निम्न अभिलेख होंगे :-

(1) एजेण्डा रजिस्टर
(2) कार्यवाही रजिस्टर
(3) सदस्यता रजिस्टर
(4) कैश बुक, स्टाक रजिस्टर, लेजर रसीद बुक एवं वाउचर इत्यादि संस्था के मूल अभिलेख होंगे।

15- संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही:- संस्था के विघटन में तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

16- अन्य प्राविधान: संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार/ भारत सरकार/ सांसद निधि / विधायक निधि तथा बैंकों इत्यादि से ऋण, दान अथवा अनुदान प्राप्त करना।

दिनांक:

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर
25/4/07

1. [signature]
2. [signature]
3. [signature]
4. [signature]